परिवहन मंत्री ने राज्य का पहला पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

5 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर ज़िले के अंतरगत ग्राम धनेली में राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया जा चुका है।
- इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को मध्य भारत के लिये वाहन स्क्रैपिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है, स्क्रैपिंग की सुविधा को बढ़ावा देने के लिये इस सेंटर को पूरी तरह डिजिटिलीकृत किया गया है।
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर (आरवीएसएफ) को उच्च प्राथमकिता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में स्थापित होने वाले आरवीएसएफ भी उच्च प्राथमकिता वाले उद्योग हेतु निर्धारित छूट का लाभ ले सकते हैं।
- राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा।
- पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से गाड़ी को स्क्रैप कराने के बाद नये गाड़ी खरीदने के लिये टैक्स में 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। छूट के लिये पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट कहा जाएगा।
- सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जो परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य होगा।
- इसके अतिरिक्त मासिक या त्रैमासिक कर देने वाली ऐसी गाड़ियाँ जिनका टैक्स बकाया है और स्क्रैपिंग कराना चाहते हैं, उन्हें भी गाड़ी में बकाया पिछले एक साल के टैक्स, पैनल्टी और ब्याज में छूट दी जाएगी।
- स्क्रैपिंग का प्रॉसेस : जब कोई वाहन स्क्रैप सेंटर में पहुँच जाता है, तो उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। अलग-अलग चरणों की बात करें तो स्टेशन पर टायर और इंजन किट हटा दिये जाते हैं। अगले चरण में बैटरियों और फ्री-ऑन गैस किटों को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वाहन की सीटें, स्टीयरिंग, इंजन और रेडिएटर हटा दिये जाते हैं, जिससे धातु से बना एक खोखला ढाँचा रह जाता है। धातु को ब्लॉकों में बदलने के लिये बेल प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे बाद में विभिन्न कंपनियों को आपूर्ति की जाती है। वहीं कार के अन्य घटकों को पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है।

//

POLICE
CG 04 PC 4292
IRISMEC
ISQ